अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री नखतदान बारहठ, आर.ए.एस

2012-00030RAAJu2012-089RTA225LRs of Khetaram Vs Togaram etc

खेताराम पुत्र शिवाराम के कायममुकामान--

1. लक्ष्मीनारायण पुत्र खेताराम जाट
2. हेमाराम पुत्र खेताराम जाट
3. गणेशराम पुत्र खेताराम जाट

निवासीगण देवाणिया, तहसील शेरगढ
जिला जोधपुर

----- अपीलाण्ट्स

ब

ना

म

1. तोगाराम पुत्र मुकनाराम जाट
2. मगीदेवी पत्नी पन्नाराम जाट
3. तुलसाराम पुत्र पन्नाराम जाट
4. दुर्गाराम पुत्र पन्नाराम जाट
5. टीकुराम पुत्र पन्नाराम जाट
6. देराजराम पुत्र पन्नाराम जाट
7. केवलराम पुत्र पन्नाराम जाट
8. चम्पा पुत्री पन्नाराम जाट
9. सिधरति पुत्री पन्नाराम जाट
10. केसू पुत्री पन्नाराम जाट

निवासीगण देवाणिया, तहसील शेरगढ
जिला जोधपुर

11. राजस्थान सरकार

जरिये तहसीलदार शेरगढ
जिला जोधपुर

----- रेस्पो.

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बरखिलाफ आदेश सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी शेरगढ दिनांक

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

20 जून 2012 राजस्व प्रकरण संख्या 80/2011
खेताराम बनाम तोगाराम

----- 0 -----

उपस्थित-

श्री उम्मेदसिंह बांवरला, अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स
श्री जगदीश प्रजापत एवं श्री भंवरलाल चौधरी अधिवक्तागण-रेस्पो. संख्या एक से दस
श्री दूदाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या 11

नि र्ण य

दिनांक : 11 मार्च 2020

अपीलाण्ट्स ने विद्वान सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, शेरगढ द्वारा राजस्व प्रकरण संख्या 80/2011 खेताराम बनाम तोगाराम व अन्य में पारित आदेश दिनांक 20 जून 2012 के खिलाफ आलौच्य अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत अदालत हाजा के समक्ष दिनांक 22 अगस्त 2012 को पेश की है।

बहस सुनी गयी, तथ्य प्रकट करते हुए अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने जाहिर किया कि न्यायालय सहायक कलेक्टर जोधपुर के समक्ष वादी खेताराम ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 53 एवं 188 के तहत एक राजस्व वाद खातेदारी अधिकारों की घोषणा, नाप एवं सीमांकन के आधार पर विभाजन तथा स्थायी निषेधाज्ञा हेतु पेश किया, जो वाद संख्या 69/1983 दर्ज किया गया। उक्त वाद में प्रतिवादी-पक्ष की ओर से जबाबदावा पेश किया जाकर विरोध किया जाने पर दिनांक 17 जुलाई 1984 को तनकियात कायम की गयी और वादी-पक्ष की साक्ष्य ली जाकर दिनांक 16 जनवरी 1985 को वादी-पक्ष की साक्ष्य बंद की जाकर वाद प्रतिवादी-पक्ष की साक्ष्य हेतु विचाराधीन चलने के दौरान प्रतिवादी संख्या दो पन्नाराम का देहान्त हो जाने पर उसके कायममुकामान की कार्यवाही कर उसके विधिक वारिसान (रेस्पो. संख्या दो से नौ) को प्रकरण

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

में पक्षकार बनाया गया। दिनांक 14 फरवरी 1985 से 13 नवम्बर 2000 तक कई मर्तबा अंतिम अवसर एवं कोस्ट पर अवसर दिये जाने के उपरान्त भी प्रतिवादी-पक्ष की ओर से एक भी गवाह पेश नहीं किया गया। दिनांक 13 नवम्बर 2000 को अपीलाण्ट्स के अधिवक्ता व अपीलाण्ट्स के विचारण न्यायालय में उपस्थित नहीं होने के कारण मूल वाद अदम पैरवी एवं अदम हाजरी में खारिज कर दिया गया। जिसकी जानकारी अधिवक्ता द्वारा वादी-अपीलाण्ट्स को नहीं दी गयी। अपने अधिवक्ता से सम्पर्क करने पर अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि एस.डी.ओ. शेरगढ का नया कोर्ट खुल गया है, वहॉ से नोटिस आवे, तब वहॉ चले जाना। काफी लम्बी अवधि तक भी जब कोई नोटिस या सूचना न्यायालय से प्राप्त नहीं हुई, तो जाकर जॉच-पडताल की, तो वस्तुस्थिति की जानकारी होने पर दिनांक 01 अप्रेल 2011 को नकल हेतु आवेदन किया और दिनांक 04 अप्रेल 2011 को नकल प्राप्त होने पर आदेश दिनांक 13 नवम्बर 2000 बाबत विधिवत जानकारी हुई। तब क्षेत्राधिकार के अनुसार न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, शेरगढ के समक्ष प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 4 सीपीसी सपठित धारा 151 सीपीसी पेश कर मूल वाद रेस्टोर किये जाने का निवेदन किया गया। उक्त प्रार्थनापत्र जरिये अपीलाधीन आदेश अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 20 जून 2012 को खारिज कर दिया गया, जिसके खिलाफ आलौच्य अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत पेश की गयी है।

अपनी बहस जारी रखते हुए अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने यह भी कथन किया कि वादग्रस्त आराजियात वक्त सेटलमेण्ट एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 प्रभाव में आने के पूर्व से ही रतनाराम के कब्जे काश्त एवं खातेदारी की भूमि रही है। रतनाराम के दो पुत्र शिवजी व

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

लाला हुए। शिवजी का पुत्र वादी खेताराम हुआ तथा प्रतिवादी-रेस्पो. लाला के पुत्र मुकना के वंशज है। विरासत के आधार पर वादग्रस्त आराजियात में खेताराम का ½ हिस्सा तथा मुकनाराम का ½ हिस्सा बनता है। मगर वक्त सेटलमेण्ट खेताराम बीकानेर में रेलवे का कर्मचारी था और इस कारण वक्त सेटलमेण्ट समस्त वादग्रस्त आराजियात अकेले मुकनाराम के नाम दर्ज हो गयी जिसके संबंध में खेताराम को जानकारी होने पर अपने हिस्से की भूमि बाबत पृथक से पट्टा जारी किये जाने हेतु आवेदन दिनांक 02 मई 1957 को खेताराम द्वारा सेटलमेण्ट ऑफिसर शेरगढ, ऑफिस बालेसर को पेश किया गया। ग्राम के प्रतिष्ठित व्यक्तियों की उपस्थिति में मुकनाराम पुत्र लालाराम द्वारा स्टाम्प पेपर पर 1957 में ही एक "लिखत" निष्पादित की गयी, जिसमें यह स्वीकार किया गया है कि वादग्रस्त आराजियात मुकनाराम व खेताराम के दादा रतनाराम की है, रतनाराम के दो पुत्र शिवजीराम व लालाराम हुए, वादग्रस्त आराजियात का पट्टा मुकनाराम के नाम से बन गया, जबकि वादग्रस्त आराजियात के ½ हिस्से का हकदार खेताराम है। उक्त दस्तावेजात विचारण न्यायालय में पेश कर प्रदर्श कराये गये है। विचारण न्यायालय में इस लिखत के लेखक उम्मेदाराम, लिखत के गवाहान हीराराम, मदरूपाराम के बयान भी कराये गये। इतना ही नहीं, प्रतिवादी-पक्ष की ओर से साक्ष्य में जो गवाहान डीडब्ल्यु-एक से डीडब्ल्यु-5 पेश हुए, उनके बयानात से भी वादी-पक्ष के वाद की ताईद होती है।

अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने यह भी कथन किया कि दावा प्रतिवादी की साक्ष्य हेतु वर्ष 1985 से 2000 तक प्रतिवादी-पक्ष की ओर से अपनी साक्ष्य पूर्ण नहीं की गयी, विचारण न्यायालय द्वारा प्रतिवादी-पक्ष को कई बार अंतिम अवसर एवं कोस्ट पर साक्ष्य हेतु अवसर दिये जाते रहे। दिनांक 25 नवम्बर 1999 की आदेशिका के अनुसार " .... शहादत प्रतिवादी कोई

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

हाजिर नहीं है .... " इसके बाद पेशी आईन्दा 10 फरवरी 2000 मुकर्रर की गयी। मगर उक्त दिनांक की कोई आदेशिका ही विचारण न्यायालय की पत्रावली में नहीं है और फिर बिना किसी सूचना के दिनांक 25 मई 2000 की आदेशिका लिखी हुई है " ...कर्मचारियों की हडताल के कारण पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय उपस्थित। शहादत वादी कोई हाजिर नहीं है। ए. सी.एम. महोदय अकाल राहत कार्य में व्यस्त है। पत्रावली दिनांक 26/7/2000 को पेश हो।" इस प्रकार बिना किसी कारण और निर्धारित विधिक प्रकिया के विपरीत साक्ष्य प्रतिवादी की बजाय मिसल साक्ष्य वाद में नियत कर दिया गया और आगे दिनांक 26 जुलाई 2000, 19 सितम्बर 2000, 03 अक्तूबर 2000 की पेशीया पीठासीन अधिकारी दीगर कार्य में व्यस्त होने से पेशी दर पेशी आगे मुकर्रर की जाकर 13 नवम्बर 2000 मुकर्रर की गयी और उक्त दिनांक की आदेशिका अनुसार "वादी एवं उनके वकील गैर हाजिर। आवाजें लगाई गई। वादी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। वाद वादी अदम पैरवी व अदम हाजरी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।" जाहिर है कि इस प्रकार जब मूल वाद में वादी-पक्ष की साक्ष्य तक पूर्ण हो चुकी थी, मात्र किसी एक पेशी पर अधिवक्ता के अनुपस्थित रहने की स्थिति में मूल दावा खारिज कर दिया जाना न्यायोचित नहीं कहा जा सकता है। अधिवक्ता-अपीलाण्ड्स का यह भी कथन है कि स्वयं विचारण न्यायालय द्वारा मूल वाद की कार्यवाही सरसरी तौर पर निपटाया जाना मामला साक्ष्य प्रतिवादी से साक्ष्य वादी में निर्धारित किये जाने से प्रकट है। इसके अलावा वादी अपने अधिवक्ता की हिदायत के अनुसार ही प्रत्येक पेशी पर उपस्थित नहीं हो रहा था। ऐसी स्थिति में किसी पेशी पर वादी के अधिवक्ता किसी अपरिहार्य कारण से या प्रमादवश उपस्थित नहीं होते है तो अधिवक्ता के किसी कृत्य का खामियाजा वादी-अपीलाण्ड्स पर डाला

जाना न्यायोचित नहीं है। अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने 2011 सी.डी.आर. 268 (एस.सी.) और 2017 डी.एन.जे. (एस.सी.) 928 के हवालें से कथन किया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित इन सिद्धान्तों के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत रेस्टोरेशन प्रार्थनापत्र विलम्ब कण्डोन किया जाकर स्वीकार किये जाने योग्य होते हुए भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश के जरिये उक्त प्रार्थनापत्र खारिज करने में गम्भीर भूल की गयी है। अंत में अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश अपास्त किया जाकर रेस्टोरेशन प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने और मूल वाद रेस्टोर किया जाने का निवेदन किया।

जबाब में अधिवक्ता-रेस्पो. ने कथन किया कि विचारण न्यायालय में मूल वाद की कार्यवाही में प्रतिवादी-पक्ष की साक्ष्य हेतु प्रकरण विचाराधीन रहने के दौरान दिनांक 13 नवम्बर 2000 को वाद अदम पैरवी एवं अदम हाजरी में खारिज किया गया। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शेरगढ का प्रारम्भ सन् 2002 में हुआ। इससे साफ जाहिर है कि कम से कम दो साल तक तो वादी-पक्ष द्वारा अपने वाद की कोई परवाह नहीं की गयी और उसके बाद भी सर्वप्रथम जानकारी सन् 2004 में होना जाहिर करते है, किन्तु उक्त जानकारी कब, किस प्रकार और किसके माध्यम से हुई, यह स्पष्ट रूप से वर्णित नहीं करते है। अपनी बहस के समर्थन में अधिवक्ता-रेस्पो. ने 2004(2) आरआरटी 1349, 1999 डीएनजे (राज.) 134, 2000(1) आरएलडब्ल्यु 256 एवं 1999 डीएनजे 056 उद्धरित करते हुए कथन किया कि पर्याप्त कारणों के अभाव में विलम्ब का शमन नहीं किया जा सकता है। प्रकरण में अत्याधिक विलम्ब से रेस्टोरेशन प्रार्थनापत्र पेश किया गया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश न्यायोचित

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

एवं विधिसम्मतः पारित किया गया है। अपील अपीलाण्ट्स सारहीन होने से तदनुसार खारिज की जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप न्यायोचित निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की उपरोक्त बहस पर गम्भीरतापूर्वक मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख एवं अधिवक्तागण द्वारा बहस के दौरान किये गये अभिकथनों के आधार पर यह भलीभांति प्रकट होता है कि वादग्रस्त आराजियात वक्त सेटलमेण्ट एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 प्रभाव में आने के पूर्व से ही रतनाराम के कब्जे काश्त एवं खातेदारी की भूमि होना, रतनाराम के दो पुत्र शिवजी व लाला होना, शिवजी का पुत्र वादी खेताराम तथा प्रतिवादी-रेस्पो. लाला के पुत्र मुकना के वंशज होना और विरासत के आधार पर वादग्रस्त आराजियात में खेताराम का ½ हिस्सा तथा मुकनाराम का ½ हिस्सा होना जाहिर करते हुए वादी खेताराम द्वारा न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, जोधपुर के समक्ष एक राजस्व वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 53 एवं 188 के तहत पेश किया गया, जिसमें जाहिर किया गया कि वक्त सेटलमेण्ट खेताराम बीकानेर में रेलवे का कर्मचारी होने के कारण ग्राम से बाहर रहता था और इस कारण वक्त सेटलमेण्ट समस्त वादग्रस्त आराजियात अकेले मुकनाराम के नाम दर्ज हो गयी। जिसके संबंध में खेताराम को जानकारी होने पर अपने हिस्से की भूमि बाबत पृथक से पट्टा जारी किये जाने हेतु आवेदन दिनांक 02 मई 1957 को खेताराम द्वारा सेटलमेण्ट ऑफिसर शेरगढ, ऑफिस बालेसर को पेश किया गया। ग्राम के प्रतिष्ठित व्यक्तियों की उपस्थिति में मुकनाराम पुत्र लालाराम द्वारा स्टाम्प पेपर पर 1957 में ही एक लिखत

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

निष्पादित की गयी, जिसमें यह स्वीकार किया गया है कि वादग्रस्त आराजियात मुकनाराम व खेताराम के दादा रतनाराम की है, रतनाराम के दो पुत्र शिवजीराम व लालाराम हुए, वादग्रस्त आराजियात का पट्टा मुकनाराम के नाम से बन गया, जबकि वादग्रस्त आराजियात के ½ हिस्से का हकदार खेताराम है। उक्त दस्तावेजात विचारण न्यायालय में पेश कर प्रदर्श कराये गये है। विचारण न्यायालय में इस लिखत के लेखक उम्मेदाराम, लिखत के गवाहान हीराराम, मदरूपाराम के बयान भी कराये गये। इन दस्तावेजात की प्रतिया अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध है।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में मूल दावा की मिसल की जो आदेशिकाओं की छायाप्रतियॉ उपलब्ध है, उनका अवलोकन करने से प्रकट होता है कि **दावा प्रतिवादी की साक्ष्य हेतु वर्ष 1985 से 2000 तक विचाराधीन रहा, इस दीर्घावधि में भी प्रतिवादी-पक्ष की ओर से अपनी साक्ष्य पूर्ण नहीं की गयी, विचारण न्यायालय द्वारा प्रतिवादी-पक्ष को कई बार अंतिम अवसर एवं कोस्ट पर साक्ष्य हेतु अवसर दिये जाते रहे।** दिनांक 25 नवम्बर 1999 की आदेशिका के अनुसार " .... शहादत प्रतिवादी कोई हाजिर नहीं है .... " इसके बाद पेशी आईन्दा 10 फरवरी 2000 मुकर्रर की गयी। मगर उक्त दिनांक की कोई आदेशिका ही विचारण न्यायालय की पत्रावली में नहीं है और फिर बिना किसी सूचना के दिनांक 25 मई 2000 की आदेशिका लिखी हुई है " ...कर्मचारियों की हडताल के कारण पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय उपस्थित। शहादत वादी कोई हाजिर नहीं है। ए.सी.एम. महोदय अकाल राहत कार्य में व्यस्त है। पत्रावली दिनांक 26/7/2000 को पेश हो।" **इस प्रकार बिना किसी कारण और निर्धारित विधिक प्रकिया के विपरीत साक्ष्य प्रतिवादी की बजाय मिसल साक्ष्य वाद में नियत कर दी गया। इससे जाहिर है कि विचारण न्यायालय द्वारा मूल**

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

वाद की कार्यवाही में लापरवाही बरती गयी है। इसके बाद दिनांक 26 जुलाई 2000, 19 सितम्बर 2000, 03 अक्तूबर 2000 की पेशीया पीठासीन अधिकारी दीगर कार्य में व्यस्त होने से आगे मुकर्रर की जाकर 13 नवम्बर 2000 नियत की गयी और उक्त दिनांक की आदेशिका अनुसार "वादी एवं उनके वकील गैर हाजिर। आवाजें लगाई गई। वादी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। वाद वादी अदम पैरवी व अदम हाजरी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।" **सन् 1957 से अपने हिस्से की पुश्तैनी भूमि विरासतन प्राप्त करने हेतु प्रयासरत एक व्यक्ति के लिए, जिसने सब ओर से निराश होकर अन्ततः वर्ष 1983 में न्यायालय की शरण ली, और वर्ष 1985 तक अपने वाद की ताईद में मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य पेश कर अगले** 15 साल प्रतिवादी-पक्ष की ओर से साक्ष्य-सबूत पेश किये जाने का इन्तजार करता रहा और इस अवधि में कितनी ही तारीख पेशियॉ विचारण न्यायालय के पीठासन अधिकारी के अन्य कार्यो में व्यस्त/अवकाश पर होने/स्थानान्तरण पर होने या कर्मचारियों की हडताल होने अथवा प्रतिवादी-पक्ष के गवाह हाजिर नहीं होने अथवा ऐसे ही और किसी कारण के इल्तवा की जाती रही, और हर बार पेशी पर अनावश्यक तौर पर वादी (जो कि एक साक्षर मात्र, ग्रामीण व्यक्ति है) को पेशी पर नहीं आने की हिदायत उसके अधिवक्ता द्वारा दिये जाने पर वह प्रत्येक पेशी पर न्यायालय में उपस्थित नहीं होकर अपने अधिवक्ता से सूचना प्राप्ति का इंतजार करने लगा। इसके बाद मात्र एक पेशी पर अधिवक्ता-वादी के अनुपस्थित रहने पर वाद खारिज कर दिये जाने और समुचित जानकारी के अभाव में **विलम्ब से पेश रेस्टोरेशन प्रार्थनापत्र खारिज कर दिये जाने के घटनाकम संबंधित परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए वादी-पक्ष को मियाद जैसे तकनीकी आधार पर मामले**

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

के गुणावगुण पर न्याय प्राप्ति का मार्ग अवरुद्ध किया जाना एक प्रकार से न्याय का उपहास (travesty of justice) प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त समस्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलाण्ट्स स्वीकार की जाती है और अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 20 जून 2012 एवं विचारण न्यायालय द्वारा मूल वाद में पारित निर्णय दिनांक 13 नवम्बर 2000 अपास्त किये जाते है और मूल वाद रेस्टोर किया जाकर वर्तमान में क्षेत्राधिकार के आधार पर न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी शेरगढ वाद को नियमित सुनवाई के प्रकम में साक्षी प्रतिवादी में रखकर आगामी तारीख पेशी से उभयपक्ष को सूचित करें। बाद विचारण गुणावगुण पर निर्णय पारित करें।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

11/3/2020

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर